सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 से उद्धरण (1975 का अधिनियम सं0 51)

9क. पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क - (1) जहाँ किसी देश या भूभाग (जिसे एतद्पश्चात इस खंड में निर्यातक देश या भूभाग कहा गया है) ने भारत को किसी वस्तु का उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया है, तो भारत में ऐसी वस्तु का आयात किए जाने पर सरकारी राजपत्र् में अधिसूचना के द्वारा केंद्र सरकार ऐसी वस्तु के संबंध में पाटन मार्जिन से अनधिक पाटनरोधी शुल्क लगाएगी ।

व्याख्या - इस खण्ड के प्रयोजनार्थ -

(क) किसी वस्तु के संबंध में "पाटन मार्जिन" का तात्पर्य उसकी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच अंतर से है;

(ख) किसी वस्तु के संबंध में "निर्यात कीमत" का तात्पर्य निर्यातक देश या भूभाग से निर्यातित वस्तु की कीमत से है और मामलों में जहाँ कोई निर्यात कीमत न हो अथवा निर्यातक और आयातक या किसी तीसरे पक्ष के बीच किसी सहयोग या अनुपूरक व्यवस्था के कारण निर्यात कीमत विश्वसनीय न हो, निर्यात कीमत का परिकलन उस कीमत के आधार पर किया जाएगा जिस पर आयातित वस्तु की सर्वप्रथम पुनर्बिक्री किसी स्वतंत्र् क्रेता को की गई हो अथवा यदि वस्तु का किसी स्वतंत्र क्रेता को पुनर्बिक्री न की गई हो या उसकी बिक्री आयात के समय की स्थिति में न की गई हो, तो परिकलन उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित किसी तर्कसंगत आधार पर किया जाएगा;

(ग) किसी वस्तु के संबंध में "सामान्य मूल्य" का तात्पर्य है -

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित निर्यातक देश या भू-भाग में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या भू-भाग के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या भू-भाग की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्र के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या भू-भाग से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथा निर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम के देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उद्गम के देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु का निर्यात के देश से होकर केवल यानान्तरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम के देश में उसकी कीमत के संबंध में किया जाएगा ।

(1क) जहां केंद्र सरकार, आवश्यक समझ कर ऐसी जांच करने के बाद यह राय व्यक्त करती है कि उप धारा (1) के तहत लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के लिए ऐसे पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन, वस्तु का विवरण अथवा नाम अथवा बनावट को बदलकर अथवा संकलित या असंकलित रुप में ऐसी वस्तुओं का आयात करके अथवा इसके मूलता के देश या निर्यात के देश को बदलकर अथवा अन्य तरीके से, जहां कि इस प्रकार से लगाए गए पाटनरोधी शुल्क अप्रभावी करने का तरीका निकाला गया है, तो वह ऐसी वस्तु अथवा ऐसे देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क का विस्तार कर सकती है ।

(2) केंद्र सरकार किसी वस्तु के संबंध में इस खण्ड के उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन के निर्धारण के लंबित रहने तक ऐसे मूल्य एवं मार्जिन के अनन्तिम अनुमान के आधार पर भारत में ऐसी वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाएगी तथा यदि ऐसा पाटनरोधी शुल्क यथानिर्धारित मार्जिन से अधिक हो तो :-

(क) केंद्र सरकार ऐसे निर्धारण को ध्यान में रखते हुए और ऐसे निर्धारण के यथासंभव तत्काल बाद ऐसे पाटनरोधी शुल्क को घटाएगी; और

(ख) इस प्रकार घटाए गए पाटनरोधी शुल्क से अधिक संग्रहित पाटनरोधी शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति करेगी ।

(2क) उप धारा (1) और उप धारा (2) में किसी बात के होते हुए भी जब तक ऐसी अधिसूचना या ऐसे अधिरोपण जैसा भी मामला हो, में विशिष्ट रूप से लागू न किया गया हो, उप धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना अथवा उप धारा (2) के अंतर्गत अधिरोपित कोई पाटनरोधी शुल्क शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम अथवा मुक्त व्यापार जोन या किसी विशेष आर्थिक जोन में किसी इकाई द्वारा आयातित वस्तुओं पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि –

(i) ऐसी अधिसूचनाओं अथवा ऐसे अधिरोपण, जैसा भी मामला हो, में विशेष रूप से लागू न किया जाए; अथवा

(ii) आयातित वस्तु यदि घरेलू टैरिफ क्षेत्र में मंजूर कर दी गई है अथवा घरेलू क्षेत्र टैरिफ क्षेत्र में मंजूर की गई किन्हीं वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग में लाई जाती है और ऐसे मामले में उस वस्तु के उस हिस्से, जिसे मंजूरी दी गई है या जिसका उपयोग किया गया उतना पाटनरोधी शुल्क लगाया जाएगा जो भारत में आयातित किए जाने के समय लगाया जाना था ।

व्याख्या : इस धारा के प्रयोजनार्थ "शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम", "मुक्त व्यापार जोन" तथा "विशेष आर्थिक जोन" शब्दों का तात्पर्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 3 की उपधारा (1) की व्याख्या 2 में दिया गया तात्पर्य होगा|

(3) जांच के अधीन पाटित वस्तु के संबंध में यदि केन्द्र सरकार का यह अभिमत है कि -

(i) पाटन काफी पहले से किया जा रहा है, जिससे क्षति हुई है अथवा यह कि आयातक को यह ज्ञात था अथवा ज्ञात होना चाहिए था कि निर्यातक पाटन कर रहा है और यह कि ऐसे पाटन से क्षति पहुंचेगी; और

(ii) अपेक्षाकृत लघु अवधि में आयातित किसी वस्तु के भारी मात्र में पाटन से क्षति हुई है, जिससे पाटित आयातित वस्तु के समय और मात्र एवं अन्य परिस्थितियों के मद्देनजर लगाए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क का सुधारात्मक प्रभाव कम होने की संभावना है, तो केंद्रीय सरकार राजपत्र् में अधिसूचना के माध्यम से उप धारा (2) के अंतर्गत भूतलक्षी प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की तारीख से पहले की तारीख से पाटनरोधी शुल्क लगा सकती है

परंतु इस उपखण्ड के अंतर्गत शुल्क अधिरोपण की तारीख अधिसूचना की तारीख से नब्बे दिन पूर्व तक ही होगी और इस समय लागू किसी कानून में किसी बात के होते हुए भी ऐसे शुल्क का भुगतान उस दर एवं उस तारीख से किया जाएगा, जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो|

(4) इस धारा के अंतर्गत प्रभार्य पाटनरोधी शुल्क इस अधिनियम अथवा तत्समय लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत अधिरोपित किसी अन्य शुल्क के अतिरिक्त होगा ।

(5) इस धारा के अंतर्गत लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जब तक उसे पहले ही समाप्त न किया जाए, इस प्रकार से लगाए जाने की तारीख से 5 वर्ष की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा ;

बशर्ते यदि किसी समीक्षा में केन्द्र सरकार का यह मत हो कि ऐसे शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तो वह इस प्रकार से लगाए गए शुल्क की अवधि को समय-समय पर आगे और 5 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है और आगे की ऐसी अवधि इस प्रकार के समय विस्तार के आदेश की तारीख से शुरू होगी ।

बशर्ते यह भी कि पाँच वर्षों की पूर्ववर्ती अवधि की समाप्ति से पूर्व शुरू की गई किसी समीक्षा का निष्कर्ष ऐसी समाप्ति से पूर्व नहीं निकलता है तो ऐसी समीक्षा का परिणाम लंबित रहने तक पाटनरोधी शुल्क एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए लागू रहेगा ।

(6) केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक समझी गई ऐसी समीक्षा के बाद उपधारा (1) या उप धारा (2) में उल्लिखित पाटन मार्जिन का केंद्र सरकार द्वारा आकलन एवं निर्धारण किया जाएगा और केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके इस धारा के प्रयोजनार्थ नियम बनाएगी तथा उपर्युक्त में शामिल सामान्य बातों के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना ऐसे नियमों में ऐसे तरीके का प्रावधान किया जाएगा जिसमें इस धारा के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण योग्य वस्तुओं को अभिज्ञात किया जाएगा और ऐसे तरीके का भी प्रावधान किया जाएगा जिससे ऐसी वस्तुओं की निर्यात कीमत एवं सामान्य मूल्य और उससे संबंधित पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जाए तथा ऐसे पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण किया जाए ।

(6क) उप धारा (6) के अंतर्गत जांच के तहत किसी निर्यातक अथवा उत्पादक द्वारा किसी वस्तु के संबंध में पाटन मार्जिन का निर्धारण सामान्य मूल्य और रखी गई निर्यात कीमत तथा ऐसे निर्यातक अथवा आयातक द्वारा प्रदान की गई सूचना के संबंध में अभिलेखों के आधार पर किया जाएगा :

परंतु यदि जहां कोई निर्यातक या आयातक ऐसे अभिलेख या सूचनाएं प्रदान करने में विफल होते हैं, तो ऐसे निर्यातक अथवा आयातक के लिए पाटन का मार्जिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा ।

(7) इस धारा के अंतर्गत जारी प्रत्येक अधिसूचना जारी करने के यथाशीघ्र पश्चात्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी|

(8) शुल्क की दर के निर्धारण की तारीख, शुल्क न लगाए जाने, कम शुल्क लगाए जाने, प्रतिपूर्ति, ब्याज, अपील, अपराध एवं शास्तियों से संबंधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के उपबंध तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम इस धारा के अंतर्गत प्रभार्थ शुल्कों पर यथासंभव उस सीमा तक लागू होंगे जहाँ तक वे उस अधिनियम के अंतर्गत प्रभार्य शुल्कों के संबंध में लागू होते हैं ।

9कक कतिपय मामलों में पाटनरोधी शुल्क की प्रतिपूर्ति - (1) उप धारा (2) के खंड (ii) के तहत जहां केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा यह निर्धारण किए जाने पर कोई आयातक केंद्र सरकार की संतुष्टि के लिए यह सिद्ध करता है कि उसने ऐसी वस्तु के संबंध में वास्तविक पाटन मार्जिन की तुलना में उस वस्तु पर धारा 9 क की उपधारा (1) के अंतर्गत अधिरोपित अधिक पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किया है तो केन्द्र सरकार जितना संभव हो सके शीघ्र ऐसी वस्तु अथवा ऐसे आयातक के संबंध में इस प्रकार से निर्धारित वास्तविक पाटन मार्जिन से जितना अधिक पाटनरोधी शुल्क है उसे कम करेगी और ऐसा आयातक ऐसे अधिक्य शुल्क की प्रतिपूर्ति का पात्र होगा :

बशर्ते वह आयातक इस उप धारा के अंतर्गत ऐसे अधिक्य शुल्क की प्रतिपूर्ति का पात्र न हो जो धारा 9 क की उप धारा (2) के अंतर्गत प्रतिपूर्ति योग्य है|

व्याख्या : इस उप धारा के प्रयोजनार्थ "पाटन मार्जिन", "निर्यात कीमत" तथा "सामान्य मूल्य" शब्दों का अर्थ वही होगा जो धारा 9क की उपधारा (1) की व्याख्या में निर्धारित किया गया है|

(2) केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके निम्नलिखित के लिए नियम बनाएगी –

(i) उस तरीके और उस समय का प्रावधान जिसके भीतर कोई आयातक उप धारा (1) के प्रयोजनार्थ आवेदन करेगा;

(ii) केंद्र सरकार के अधिकारी को ऐसे नियमों में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर केंद्र सरकार की ओर से ऐसे आवेदन के निपटान के लिए प्राधिकृत करना; और

(iii) उस तरीके का प्रावधान जिसमें उपधारा (1) में उल्लिखित अधिक्य शुल्क का -

(क) खण्ड (ii) में उल्लिखित अधिकारी द्वारा निर्धारण किया जाएगा; और

(ख) ऐसे निर्धारण के पश्चात उप सीमाशुल्क आयुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

9ख कतिपय मामलों में धारा 9 या धारा 9 क के अनुसार शुल्क न लगाया जाना- (1) धारा 9 या धारा 9 क में दी गई किसी बात के होते हुए भी-

(क) पाटन या निर्यात सब्सिडीकरण की सदृश स्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए किसी भी वस्तु पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क और पाटनरोधी शुल्क दोनों नहीं लगाए जाएंगें ;

(ख) केंद्र सरकार निम्नलिखित के लिए कोई प्रतिसंतुलनकारी शुल्क या पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाएगी -

(i) धारा 9 या धारा 9 क के अंतर्गत, उद्गम अथवा निर्यात के देश में खपत हेतु अभिप्रेत समान वस्तु पर लगाए गए शुल्कों या करों से ऐसी वस्तु को छूट प्राप्त होने पर अथवा ऐसे शुल्कों या करों की प्रतिपूर्ति किए जाने पर ;

(ii) दोनों धाराओं की उप धारा (1) के अंतर्गत, विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश या किसी अन्य देश जिसके साथ भारत सरकार का परम मित्र राष्ट्र करार है । (जिसे एतद्पश्चात विनिर्दिष्ट देश कहा गया है), से किसी वस्तु के भारत में आयात पर, जब तक कि इस धारा की उप धारा (2) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यह निर्धारण न किया गया हो कि भारत में ऐसी वस्तु के आयात से यहाँ स्थापित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति होती है या होने का खतरा है अथवा भारत में ऐसे उद्योग की स्थापना बाधित होती है; तथा

(iii) दोनों धाराओं की उप धारा (2) के अंतर्गत, विनिर्दिष्ट देशों से भारत में किसी वस्तु के आयात पर, जब तक कि इस धारा की उप धारा (2) के अंर्तगत बनाए गए नियमों के अनुसार सब्सिडी या पाटन और घरेलू उद्योग के परिणामी क्षति के प्रारंभिक जाँच परिणाम न दिए गए हों; और आगे यह भी निर्धारित न किया गया हो कि जाँच के दौरान हो रही क्षति को रोकने के लिए शुल्क आवश्यक है :

बशर्ते कि खण्ड (ख) के उप खण्ड (ii) एवं (iii) में दी गई कोई भी बात लागू नहीं होगी, यदि भारत को समान वस्तु का निर्यात करने वाले किसी तीसरे देश के घरेलू उद्योग को क्षति अथवा उसके खतरे को रोकने के लिए उस वस्तु पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क या पाटनरोधी शुल्क लगाया गया हो;

(ग) केंद्र सरकार उदग्रहण नहीं कर सकती -

(i) किसी भी समय निर्यातक देश अथवा भू-भाग की सरकार द्वारा सब्सिडी को समाप्त या सीमित रखने अथवा निर्यातों के प्रभावों से संबंधित अन्य उपाय करने के संबंध में संतोषजनक स्वैच्छिक वचनबद्धता प्राप्त होने पर या निर्यातक द्वारा वस्तु की कीमत में संशोधन किए जाने पर सहमत होने पर और यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि एतदद्वारा सब्सिडी का क्षतिकारक प्रभाव समाप्त हो गया है, तो धारा 9 के अंतर्गत प्रतिसंतुलनकारी शुल्क नहीं लगाएगी ;

(ii) किसी भी समय निर्यातक से कीमतों में संशोधन या प्रश्नगत क्षेत्र में पाटित कीमतों पर निर्यात बंद करने के संबंध में संतोषजनक स्वैच्छिक वचनबद्धता प्राप्त होने पर और यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी कार्यवाही से पाटन का क्षतिकारक प्रभाव समाप्त हो जाएगा तो धारा 9 के अंतर्गत पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाएगी ।

(2) केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके इस धारा के प्रयोजनार्थ नियम बनाएगी और उपर्युक्त में शामिल बातों के प्रति किसी पूर्वाग्रह के बिना ऐसे नियमों में इस धारा के प्रयोजनार्थ किसी जाँच की पद्धति, उन कारकों जिनके संबंध में ऐसी जांच की जानी है और ऐसी जाँच से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रावधान शामिल होंगे ।

9 ग अपील - (1) किसी वस्तु के आयात के संबंध में सब्सिडी या पाटन की मौजूदगी, मात्रा एवं प्रभाव से संबंधित निर्धारण या उसकी समीक्षा के आदेश के विरूद्ध कोई अपील सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 129 के अंतर्गत गठित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी ।

(1क) उप धारा (1) के अतंर्गत किसी अपील के साथ पंद्रह हजार रूपये शुल्क के रूप में जमा किए जाएंगे ।

(1ख) निम्नलिखित के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन के साथ पाँच सौ रूपये का शुल्क संलग्न किया जाएगा -

(क) उप धारा (1) के अंतर्गत स्थगन अथवा भूल-सुधार या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई अपील; या

(ख) किसी अपील अथवा किसी आवेदन की बहाली हेतु ।

(2) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक अपील, अपील के अंतर्गत आदेश की तारीख के नब्बे दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी :

बशर्ते यदि अपीलीय न्यायाधिकरण संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास समय पर अपील प्रस्तुत न कर पाने के पर्याप्त कारण थे तो वह नब्बे दिनों की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी कोई अपील स्वीकार करेगा ।

(3) अपीलीय न्यायाधिकरण अपील के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद जिस आदेश के विरुद्ध अपील दायर की गई है, उसकी पुष्टि, उसमें संशोधन या उसे रद्द करते हुए ऐसे आदेश पारित करेगा जिसे वह उचित समझे ।

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 129 ग की उप धारा (1), (2), (5) एवं (6) के उपबंध अपीलीय प्राधिकरण पर लागू होंगे और ऐसी पीठ में राष्ट्रपति तथा कम से कम दो सदस्य शामिल होंगे और उसमें एक न्यायिक सदस्य तथा एक तकनीकी सदस्य होगा ।

सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995

अधिसूचना सं0 2/95- सी.शु. (एन टी), दिनांक 1 जनवरी, 1995, यथा संशोधित अधिसूचना सं. 44/95- सी.शु. (एन टी), दिनांक 15.7.1999, अधिसूचना सं. 28/2001- सी.शु. (एन टी), दिनांक 13.5.2001, अधिसूचना सं. 1/2002 -सी.शु. (एन टी), दिनांक 4.1.2002, अधिसूचना सं. 101/2003 -सी.शु. (एन टी), दिनांक 10.11.2003, अधिसूचना सं. 15/2011- सी.शु. (एन टी), दिनांक 1.3.2011, अधिसूचना सं. 86/2011 -सी.शु. (एन टी), दिनांक 1.12.2011, अधिसूचना सं. 6/2012- सी.शु. (एन टी), दिनांक 19.1.2012

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9 क की उप धारा (6) तथा धारा 9 ख की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम 1985 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रण के पूर्व के कृत्यात्कृयों को छोड़कर, केंद्र सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 कहा जाएगा ।

   (2) ये नियम 1 जनवरी, 1995 से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषा : इन नियमों में, जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो -

   (क) "अधिनियम" का तात्पर्य सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) से है,

   (ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके

आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' शेष उत्पादकों को समझा जाएगा ।

परंतु नियम 11 के उप नियम (3) में उल्लिखित अपवाद परिस्थितियों में प्रश्नगत वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग में दो या अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार शामिल माने जाएंगे और ऐसे प्रत्येक बाजार में उत्पादकों को एक अलग उद्योग माना जाएगा, यदि -

(i) यदि उस बाजार के उत्पादक उस बाजार में प्रश्नगत वस्तु का अपने समग्र उत्पादन या लगभग समग्र उत्पादन की बिक्री करते हैं; और

(ii) उस बाजार की माँग की बड़ी मात्र की आपूर्ति उस भू-भाग में अन्यत्र स्थित उक्त वस्तु के उत्पादकों द्वारा नहीं की जाती है;

व्याख्या - इस खण्ड के प्रयोजनार्थ -

(i) उत्पादकों को केवल उसी स्थिति में निर्यातकों या आयातकों से संबंधित माना जाएगा यदि, -

(क) उनमें से कोई एक दूसरे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखता हो ; अथवा

(ख) दोनों ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित हों; अथवा

(ग) दोनों मिलकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति को नियंत्रित करते हों, बशर्ते इस बात पर विश्वास करने या आशंका करने का आधार हो कि उनके संबंध का प्रभाव ऐसा है जिससे उत्पादक असंबंधित उत्पादकों से अलग प्रकार का व्यवहार करते हों ।

(ii) किसी उत्पादक को दूसरे उत्पादक पर नियंत्रण रखने वाला तभी माना जाएगा जब उत्पादक उस अन्य उत्पादक पर दबाव डालने या निर्देश देने की विधिक या प्रचालनात्मक स्थिति में हो ।

(ग) "हितबद्ध पक्षकार" में निम्नलिखित शामिल हैं -

(i) भारत में पाटन की जा रही किसी वस्तु का कोई निर्यातक या विदेशी उत्पादक अथवा आयातक जो जाँच के अध्यधीन हो या कोई व्यवसायी अथवा व्यावसायिक एसोसिएशन जिसके अधिकांश सदस्य ऐसी वस्तु के उत्पादक, निर्यातक या आयातक हों;

(ii) निर्यातक देश की सरकार; और

(iii) भारत में समान वस्तु का कोई उत्पादक या कोई व्यवसायी अथवा व्यावसायिक एसोसिएशन जिसके अधिकांश सदस्य समान वस्तु का उत्पादन करते हों;

(घ) "समान वस्तु" का अर्थ एक ऐसी वस्तु है जो भारत में पाटन के लिए जांच के अधीन वस्तु के समान न हो या प्रत्येक दृष्टि से उसके जैसी हो अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य ऐसी वस्तु जो यद्यपि प्रत्येक दृष्टि से समान हो तब भी उसमें जांचाधीन वस्तु से अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएं हो;

(ड.) "अनंतिम शुल्क" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 9 क की उप धारा (2) के अंतर्गत अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क से है;

(च) "विनिर्दिष्ट देश" का तात्पर्य किसी देश या भू-भाग से है जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और इसमें वे देश और भू-भाग भी शामिल हैं जिनके साथ भारत सरकार का परम मित्र राष्ट्र व्यवहार संबंधी करार है;

(छ) इन नियमों में प्रयुक्त परंतु परिभाषित न किए गए सभी शब्दों एवं शब्दावलियों का अर्थ वही होगा जो अधिनियम में उनके लिए निर्धारित किया गया है |

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी की नियुक्ति - (1) केन्द्र सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका स्तर भारत सरकार के संयुक्त सचिव से कम न हो अथवा किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे वह उचित समझे, इन नियमों के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट प्राधिकारी नियुक्त करेगी ।

(2) केन्द्र सरकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसे अन्य व्यक्तियों की सेवाएं

तथा ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी जिन्हें वह उचित समझे ।

4. निर्दिष्ट प्राधिकारी के कर्तव्य - (1) इन नियमों के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के कर्तव्य होंगे-

(क) किसी वस्तु के आयात के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा एवं प्रभाव की जांच करना;

(ख) पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने योग्य वस्तु को अभिज्ञात करना;

(ग) निम्नलिखित के संबंध में अपने जांच परिणाम, अनंतिम या अन्यथा, केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करना-

(i) जांचाधीन वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत एवं पाटन मार्जिन, और

(ii) निर्दिष्ट देशों से ऐसी वस्तु के आयात के परिणामस्वरूप भारत में स्थापित किसी उद्योग को क्षति या क्षति का खतरा अथवा भारत में किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक व्यवधान |

(घ) केन्द्र सरकार को सिफारिश करना -

(i) पाटन मार्जिन के बराबर या उससे कम, पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करना, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी और

(ii) ऐसे शुल्क की शुरूआत की तारीख; तथा

(ड.) पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा ।

5. जांच की शुरूआत- (1) उप नियम (4) में किए गए प्रावधान को छोड़कर, घरेलू उद्योग से अथवा उसकी ओर से लिखित आवेदन प्राप्त होने पर निर्दिष्ट प्राधिकारी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने के लिए जांच शुरु करेंगे ।

(2) उप नियम (1) के अंतर्गत कोई आवेदन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथा निर्दिष्ट प्रपत्र में होगा और आवेदन के साथ निम्नलिखित के साक्ष्य लगाए जाएंगे -

(क) पाटन

(ख) क्षति, जहां लागू हो, और

(ग) जहां लागू हो, ऐसे पाटित आयातों और कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध ।

(3) उप नियम (1) के अंतर्गत प्रस्तुत किसी आवेदन के अनुवर्ती निर्दिष्ट प्राधिकारी तब तक कोई जांच शुरु नहीं करेगा, जब तक कि -

(क) वह समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन के समर्थन या उसके विरोध की सीमा की जांच के आधार पर निर्धारित न कर लें कि आवेदन घरेलू उद्योग या उसकी ओर से प्रस्तुत किया गया है |

बशर्ते कि कोई जांच शुरु नहीं की जाएगी यदि घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन में आवेदन का समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का हिस्सा 25 प्रतिशत से कम हो, और

(ख) वह आवेदन में दिए गए साक्ष्य की विशुद्धता एवं पर्याप्तता की जांच न कर लें और स्वयं को संतुष्ट न कर लें कि निम्नलिखित के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य हैं -

(i) पाटन

(ii) क्षति, जहां लागू हो, और

(iii) जांच की शुरूआत को उचित सिद्ध करने के लिए ऐसे पाटित आयातों एवं कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध |

व्याख्या- इस नियम के प्रयोजनार्थ कोई आवेदन घरेलू उद्योग या उसकी ओर से प्रस्तुत माना जाएगा यदि उसका समर्थन उन घरेलू उत्पादकों ने किया हो जिनका संयुक्त उत्पादन आवेदन का समर्थन या विरोध, जैसा भी मामला हो, करने वाले घरेलू उद्योग के उस हिस्से द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन के पचास प्रतिशत से अधिक हो ।

(4) उप नियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी स्वत: जांच की शुरूआत कर सकते हैं यदि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत नियुक्त सीमा शुल्क आयुक्त या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना से संतुष्ट हों कि उप नियम (3) के खंड (ख) में उल्लिखित परिस्थितियों की मौजूदगी के पर्याप्त साक्ष्य हैं ।

(5) निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच शुरु करने से पूर्व निर्यातक देश की सरकार को सूचित करेंगे ।

6. जांच को शासित करने वाले सिद्धात - (1) निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा एवं प्रभाव के निर्धारण की जांच शुरू करने का निर्णय लेने के बाद अपने निर्णय की सूचना देते हुए सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे और ऐसी सार्वजनिक सूचना में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में पर्याप्त सूचना शामिल होगी -

(i) निर्यातक देश या देशों का नाम एवं शामिल वस्तु;

(ii) जांच की शुरूआत की तारीख;

(iii) आवेदन में पाटन का आरोप लगाए जाने का आधार;

(iv) उन कारकों का सार जिन पर क्षति का आरोप आधारित है;

(v) वह पता जिस पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभ्यावेदन भेजे जाने चाहिए; और

(vi) हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अनुमत समय-सीमा।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक सूचना की प्रति कथित रूप से पाटन की जा रही वस्तु के ज्ञात निर्यातकों, संबंधित निर्यातक देशों की सरकारों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अग्रेषित की जाएगी ।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नियम 5 के उप नियम (1) में उल्लिखित आवेदन की प्रति निम्नलिखित को भी प्रदान की जाएगी :-

(i) ज्ञात निर्यातकों या जहां निर्यातकों की संख्या बहुत अधिक हो, संबंधित व्यापार एसोसिएशनों को; और

(ii) निर्यातक देशों की सरकारों को ।

बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा आवेदन की प्रति किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार को भी उपलब्ध कराई जाएगी जिसने उसके लिए लिखित में आवेदन किया हो ।

(4) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों से निर्दिष्ट प्रपत्र में कोई सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना जारी की जाएगी और ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों या पर्याप्त कारण प्रस्तुत किए जाने पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनुमत ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर लिखित में ऐसी सूचना प्रस्तुत की जाएगी ।

व्याख्या- इस उप नियम के प्रयोजनार्थ सूचना एवं अन्य दस्तावेजों हेतु अनुरोध करते हुए जारी सूचना उस तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त मानी जाएगी जिस तारीख को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सूचना प्रेषित की गई थी या निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को सम्प्रेषित की गई थी ।

(5) उन मामलों में जहां वस्तु की सामान्य तौर पर खुदरा स्तर पर बिक्री की जाती है, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांचाधीन वस्तु के औद्योगिक प्रयोक्ताओं और प्रतिनिधिक उपभोक्ता संगठनों को पाटन, क्षति जहां प्रयोज्य हो, एवं कारणात्मकता के संबंध में जांच के संगत सूचना प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया जाएगा ।

(6) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों को जांच की संगत सूचना मौखिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी परंतु ऐसी मौखिक सूचना पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा केवल तभी विचार किया जाएगा जब उसे बाद में लिखित में प्रस्तुत किया जाए ।

(7) निर्दिष्ट प्राधिकारी को किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रदत्त साक्ष्य जांच में भाग लेने वाले अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाएंगे ।

(8) यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आव यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जांच में बाधा डालता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज

कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं ।

7. गोपनीय सूचना- (1) नियम 6 के उप नियम (2), (3) एवं (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 15 के उप नियम (4) तथा नियम 17 के उप नियम (4) में किसी भी बात के होते हुए भी नियम 5 के उप नियम (1) के प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या जांच की प्रक्रिया में किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदत्त कोई अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसकी गोपनीयता के संबंध में संतुष्ट होने पर ऐसी सूचना को गोपनीय माना जाएगा और ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना ऐसी सूचना किसी अन्य पक्षकार के समक्ष प्रकट नहीं की जाएगी ।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षकारों से प्रस्तुत की गई किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा नहीं जाएगी और यदि सूचना यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के विचार से ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना संभव न हो तो उसका कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।

(3) उप नियम (2) की किसी बात के होते हुए भी यदि प्राधिकारी को यह विश्वास है कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या उसे सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकट करने का प्राधिकार देने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं ।

8. सूचना की यथातथ्यता - नियम 6 के उप नियम (8) में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच की प्रक्रिया में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना पर जिस पर जांच परिणाम आधारित हैं, की यथातथ्यता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करेंगे ।

9. अन्य विनिर्दिष्ट देशों के भू-भाग में जांच- यदि मामले का परिस्थितियों द्वारा वांछित हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य देशों के भू-भागों में जांच करेंगे ।

परंतु निर्दिष्ट प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करें और संबंधित सरकार के प्रतिनिधियों को सूचित करें तथा संबंधित सरकार द्वारा ऐसी जांच पर कोई आपत्ति न की जाए |

10. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण - किसी वस्तु का पाटन किया जा रहा माना जाएगा यदि किसी देश या भू-भाग से भारत में उसका निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया जाए और ऐसी परिस्थितियों में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अन्य के साथ-साथ इन नियमों के अनुबंध-1 में दिए गए सिद्धांतों पर विचार करके सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण किया जाएगा |

11. क्षति का निर्धारण- (1) विनिर्दिष्ट देशों से आयातों के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे इस आशय का एक जांच परिणाम दर्ज करेंगे कि भारत में ऐसी किसी वस्तु के आयात से किसी स्थापित उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है या क्षति होने का खतरा उत्पन्न हो गया है या उससे भारत में किसी उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा उत्पन्न हुई है ।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अनुबंध-II में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमत पर उसके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को हुई क्षति, घरेलू उद्योग को क्षति के खतरे, घरेलू उद्योग की स्थापना के लिए वास्तविक बाधा और पाटित आयातों तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का निर्धारण किया जाएगा।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी अपवाद मामलों में जहां घरेलू उद्योग के अधिकांश हिस्से को क्षति न हुई हो, तो भी क्षति की मौजूदगी के संबंध में जांच परिणाम देंगे, यदि -

(i) किसी एकल बाजार में पाटित आयातों की सघनता हो, और
(ii) पाटित आयातों से ऐसे बाजार के उत्पाद के सभी या लगभग सभी उत्पादकों को क्षति हो रही हो |

12. प्रारंभिक जांच परिणाम- निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा त्वरित गति से जांच की जाएगी और उपयुक्त मामलों में निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य एवं पाटन मार्जिन के संबंध में प्रारंभिक जांच परिणाम दर्ज किया जाएगा तथा विनिर्दिष्ट देशों से आयातों के संबंध में वे घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में आगे के जांच परिणाम भी दर्ज करेंगे और ऐसे जांच परिणाम में पाटन एवं क्षति के निर्धारण के संबंध में प्रारंभिक निर्धारण के लिए पर्याप्त विस्तृत सूचना होगी तथा उन तथ्यों एवं कानूनों का उल्लेख किया जाएगा

जिनके आधार पर किसी तर्क को स्वीकार या अस्वीकार किया गया हो । इसमें निम्नलिखित भी शामिल होंगे :-

(i) आपूर्तिकर्ता का नाम और जब यह व्यवहार्य न हो तो शामिल आपूर्तिकर्ता देश ;

(ii) वस्तु का विवरण जो सीमा शुल्क के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त हो;

(iii) निर्धारित पाटन मार्जिन और निर्धारण के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया के लिए कारणों, की पूर्ण व्याख्या तथा निर्यात कीमत एवं सामान्य मूल्य की तुलना;

(iv) क्षति निर्धारण के संगत विचार; और

(v) निर्धारण के लिए मुख्य कारण ।

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने जांच परिणाम दर्ज करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे ।

13. अनंतिम शुल्क का अधिरोपण - केन्द्र सरकार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए प्रारंभिक जांच परिणामों के आधार पर पाटन मार्जिन से अनधिक अनंतिम शुल्क लगाएगी :

बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच की शुरूआत करने के अपने निर्णय के संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना की तारीख से साठ दिनों की समाप्ति से पूर्व ऐसा शुल्क लगाया जाएगा :

बशर्ते यह भी कि ऐसा शुल्क छह माह से अनधिक अवधि के लिए लागू रहेगा जिसे शामिल व्यवसाय जगत के पर्याप्त प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्यातकों के अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा नौ माह की अवधि तक बढ़ाया जाएगा |

14. जांच की समाप्ति - निर्दिष्ट प्राधिकारी सार्वजनिक सूचना जारी करके कोई जांच तत्काल समाप्त करेंगे, यदि -

(क) उसे घरेलू उद्योग जिसके आवेदन पर जांच शुरू की गई थी, से या उसकी ओर

से ऐसा करने के लिए लिखित में आवेदन प्राप्त हो;

(ख) जांच की प्रक्रिया में वे संतुष्ट हों कि जांच को जारी रखने को उचित सिद्ध करने के लिए पाटन और जहां लागू हो, क्षति के पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं;

(ग) वे निर्धारित करें कि पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के 2 प्रतिशत से कम है ;

(घ) वे निर्धारित करें कि किसी एक देश से वास्तविक या संभावित पाटित आयातों की मात्रा समान वस्तु के आयातों से 3 प्रतिशत से कम है जब तक कि समान वस्तु के आयातों में स्वतंत्र रूप से 3 प्रतिशत से कम हिस्सा रखने वाले देशों का समान वस्तु के आयातों में सामूहिक हिस्सा 7 प्रतिशत से अधिक न हो; या

(ड.) वे निर्धारित करें कि क्षति, जहां लागू हो, नगण्य है ।

15. कीमत वचनबद्धता पर जांच स्थगित या समाप्त करना –

(1) निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी जांच को स्थगित या समाप्त कर सकते हैं यदि प्रश्नगत वस्तु का निर्यातक -

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी को लिखित में कीमतों में ऐसे संशोधन करने की वचनबद्धता प्रस्तुत करे जिससे भारत को उक्त वस्तु का कोई निर्यात पाटित कीमतों पर नहीं किया जाएगा; या

(ii) विशिष्ट देशों से आयातों के मामले में कीमतों में संशोधन की वचनबद्धता करे ताकि पाटन का क्षतिकारक प्रभाव समाप्त हो जाए और निर्दिष्ट प्राधिकारी संतुष्ट हों कि पाटन का क्षतिकारक प्रभाव समाप्त हो गया है।

बशर्ते यह भी कि निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच पूरी करके अपने जांच परिणाम दर्ज करेंगे यदि निर्यातक की ऐसी इच्छा हो या वह ऐसा निर्णय ले ।

(2) उप नियम (1) के खंड (ii) के अंतर्गत कीमत वृद्धि के अंतर्गत किसी निर्यातक से कोई वचनबद्धता स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटन एवं क्षति का प्रारंभिक निर्धारण न कर लिया हो ।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी निर्यातक से वचनबद्धता की कोई पेशकश भी स्वीकार नहीं करेंगे यदि वे मानते हों कि ऐसी वचनबद्धता को स्वीकार करना अव्यवहारिक है या किसी अन्य कारण से अस्वीकार्य है ।

(4) निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी वचनबद्धता को स्वीकार करने और जांच स्थगित या समाप्त करने की सूचना केन्द्र सरकार को देंगे तथा इस संबंध में सार्वजनिक सूचना भी जारी करेंगे। सार्वजनिक सूचना में अन्य के साथ-साथ वचनबद्धता का अगोपनीय अंश भी शामिल होगा ।

(5) ऐसे मामलों में जहां निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कोई व वचनबद्धता की गई हो, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 9 क की उप-धारा (2) के तहत, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई वचनबद्धता के वैध रहने की अवधि तक कोई शुल्क लागू नहीं किया जा सकेगा ।

(6) यदि किसी मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उप नियम (1) के तहत कोई वचनबद्धता स्वीकार की हो तो ऐसी स्थिति में जिस निर्यातक से वचनबद्धता ली गई है उस निर्यातक को समय-समय पर वचनबद्धता की पूर्ति से संगत सूचना उपलब्ध कराना तथा संगत आंकड़ों के सत्यापन की अनुमति देना अपेक्षित होगा :

बशर्ते कि किसी वचनबद्धता के उल्लंघन के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, केंद्र सरकार को वचनबद्धता के उल्लंघन के बारे में सूचित करेंगे और इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे उल्लंघन की तारीख से अनंतिम शुल्क लागू करने की सिफारिश करेंगे ।

(7) निर्दिष्ट प्राधिकारी स्वतः अथवा संबद्ध वस्तु के निर्यातक अथवा आयातक अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार से प्राप्त किसी अनुरोध के आधार पर पूर्व में की गई किसी वचनबद्धता को जारी रखने की आवश्यकता की समय-समय पर समीक्षा करेंगे|

16. सूचना का प्रकटन :- निर्दिष्ट प्राधिकारी, अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पूर्व सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचार किए गए आवश्यक तथ्यों के बारे में सूचित करेंगे जिनके आधार पर उन्होंने निर्णय लिया है|

17. अंतिम जांच परिणाम :- (1) निर्दिष्ट प्राधिकारी जांच शुरू करने से एक वर्ष के भीतर इस बात का निर्धारण करेंगे कि जांचाधीन उत्पाद का भारत में पाटन किया जा रहा है अथवा नहीं और केंद्र सरकार को अपना अंतिम जांच परिणाम सौंपेंगे -

(क) जांच में निम्नलिखित तथ्य शामिल होंगे –

(i) उक्त वस्तु की निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन

(ii) यदि विनिर्दिष्ट देशों से आयात के मामले में भारत में उक्त वस्तु के अभाव से भारत में अवस्थित किसी उद्योग को वास्तविक क्षति होती है अथवा क्षति का खतरा है अथवा भारत में स्थित किसी उद्योग की संस्थापना की संभावना को वास्तविक क्षति होती है;

(iii) पाटित आयातों तथा क्षति के बीच, जहां भी लागू हो, एक कारणात्मक संबंध;

(iv) यदि भूतलक्षी प्रभाव से कोई उप कर लगाने की आवश्यकता है, तो उसके कारण तथा इस प्रकट से भूतलक्षी कर लागू करने की तारीख :

परंतु केंद्र सरकार द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों में अपने विवेकाधिकार से एक वर्ष की उपर्युक्त अवधि को छह माह तक बढ़ाया जाता है :

परंतु यह भी कि ऐसे मामलों में जहां निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नियम 15 के अनुसार कीमत वचनबद्धता स्वीकार करने के बाद जांच स्थगित की तत्पश्चात उक्त वचनबद्धता के उल्लंघन के पश्चात जांच दोबारा शुरू की हो तो जिस अवधि के लिए जांच आस्थगित की गई थी उक्त एक वर्ष की अवधि का परिकलन करते समय उस अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा|

(ख) शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करना, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करेगी ।

(2) अंतिम जांच परिणाम, यदि सकारात्मक हो, तो उसमें उन तथ्यों तथा कानूनों एवं कारणों से संबंधित सभी सूचना निहित होगी जिनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है तथा उसमें निम्नलिखित जानकारी भी होगी :

(i) आपूर्तिकर्ताओं के नाम, तथा जहां यह अव्यवहार्य हों, शामिल

आपूर्तिकर्ता देशों के नाम;

(ii) उत्पाद का विवरण जो सीमा शुल्क के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त हो;

(iii) निर्धारित पाटन मार्जिन तथा निर्यात कीमत एवं सामान्य मूल्य के निर्धारण एवं तुलना के लिए प्रयुक्त पद्धति के कारणों का पूरा स्पष्टीकरण;

(iv) क्षति के निर्धारण के लिए संगत जानकारी ; तथा

(v) इस निर्धारण के मुख्य कारण

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी जांचाधीन उत्पाद से सभी संबद्ध ज्ञात निर्यातक अथवा उत्पादक के लिए अलग-अलग पाटन मार्जिन का निर्धारण करेंगे, बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां निर्यातकों, उत्पादकों आयातकों अथवा वस्तुओं के प्रकारों की संख्या इतनी अधिक हो कि ऐसा निर्धारण अव्यवहार्य हो तो वे चयन के समय पर उपलब्ध सूचना के आधार पर सांख्यिकीय रूप से वैध नमूनों का उपयोग कर जांच को हितबद्ध पक्षकारों अथवा वस्तुओं की एक समुचित संख्या अथवा संबद्ध देश से निर्यातों की मात्र के सर्वोच्च प्रतिशत तक सीमित कर सकते हैं जिनकी व्यावहारिक रूप से जांच की जा सके तथा इस परन्तुक के तहत निर्यातकों, उत्पादकों अथवा वस्तुओं के प्रकारों का कोई चयन अधिमानी रूप से संबद्ध निर्यातकों, उत्पादकों अथवा आयातकों के परामर्श तथा सहमति से किया जाएगा :

परंतु यह भी कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे मामलों को छोड़कर जहां निर्यातकों अथवा उत्पादकों की संख्या इतनी अधिक है कि अलग-अलग जांच करना अत्यधिक बोझिल होगा तथा इससे जांच के समय पर पूरा होने में बाधा उत्पन्न होगी, किसी निर्यातक अथवा उत्पादक के लिए जिन्होंने समय पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत की है, पाटन के अलग-अलग मार्जिन का निर्धारण करेंगे ।

(4) निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम जांच परिणामों को रिकॉर्ड करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे ।

18. शुल्क लागू करना- (1) केन्द्र सरकार द्वारा नियम 17 के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणामों के प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, अधिकारिक गजट में अधिसूचना द्वारा, अंतिम जांच परिणाम में शामिल वस्तु के भारत में आयात पर नियम 17 के तहत यथा निर्धारित पाटन मार्जिन से अनधिक पाटनरोधी शुल्क लागू किया जाएगा ।

(2) ऐसे मामलों में जहां निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नियम 17 के उप नियम (3) के अनुसार किसी देश विदेश से निर्यातों की मात्र के प्रतिशत का चयन किया है उनमें ऐसे निर्यातक अथवा उत्पादक जो जांच में शामिल नहीं है से आयातों पर लगाया गया कोई भी पाटनरोधी शुल्क नीचे दी गई बातों से अधिक नहीं होगा-

(i) चुनिंदा निर्यातकों अथवा उत्पादकों के संबंध में निर्धारित भारित औसत पाटन मार्जिन, अथवा,

(ii) जहां पाटनरोधी शुल्कों के भुगतान हेतु देयता का परिकलन संभावित सामान्य मूल्य/ चुनिंदा निर्यातकों अथवा उत्पादकों के भारित औसत सामान्य मूल्य तथा उन निर्यातकों अथवा आयातकों, जिनकी अलग-अलग जांच नहीं की गई हो, की निर्यात कीमत के बीच के अंतर के आधार पर किया गया है:

परंतु केन्द्र सरकार इस उप नियम के प्रयोजनार्थ किसी शून्य मार्जिन, ऐसे मार्जिन जो 2 % से कम हैं तथा जिन्हें निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है तथा नियम 6 के उप नियम (8) में दी गई परिस्थितियों में निर्धारित मार्जिन पर विचार नहीं करेंगे । केन्द्र सरकार नियम 17 के उप नियम (3) के द्वितीय परन्तुक में दिए गए अनुसार जांच के क्रम में ऐसे निर्यातक अथवा उत्पादक जो जांच में शामिल नहीं हैं, और आवश्यक सूचना उपलब्ध कराई है के आयातों के लिए अलग-अलग शुल्क लागू करेगी।

(3) उप नियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहां नियम 2 के उप खण्ड (ख) के परन्तुक के अनुसार घरेलू उद्योग की व्याख्या की गई है, कोई शुल्क केवल निर्यातकों को संबद्ध क्षेत्र को पाटित कीमतों पर निर्यात करने की प्रक्रिया को रोकने का अवसर देने के बाद अथवा नियम 15 के अनुसार कोई वचनबद्धता करने के बाद ही लागू किया जाएगा और यदि इस प्रकार की वचनबद्धता तत्काल नहीं दी गई हो तो यह शुल्क संबद्ध क्षेत्र को आपूर्ति करने वाले विशिष्ट उत्पादकों की वस्तुओं पर ही लागू नहीं किया जाएगा ।

(4) यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम नकारात्मक अर्थात उन साक्ष्यों से विपरीत हैं जिन के आधार पर जांच शुरु की गई थी, तो केन्द्र सरकार द्वारा नियम 17 के तहत निर्दिश्ट प्राधिकारी द्वारा अंतिम जांच परिणाम प्रकाशित करने के पैंतालिस दिनों के भीतर लागू अंतिम शुल्क, यदि कोई हो, वापस ले लिया जाएगा ।

19. गैर-विभेदकारी आधार पर शुल्क करना - नियम 13 के तहत लागू कोई अनंतिम शुल्क अथवा नियम 18 के तहत लागू पाटनरोधी शुल्क गैर-विभेदकारी आधार पर होगा तथा ऐसी वस्तुओं के सभी आयातों पर लागू होगा जिनका पाटन किसी भी स्रोत से किया गया हो और जहां लागू हो, घरेलू उद्योग को क्षति हो रही हो । इनमें वे मामले शामिल नहीं होंगे जहां आयात ऐसे स्रोतों से किया गया हो जिसमें नियम 15 के अनुसार वचनबद्धता स्वीकार की गई हो ।

20. शुल्क लागू करना- (1) नियम 13 तथा नियम 19 के तहत लागू पाटनरोधी शुल्क आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

(2) उप-नियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी

(क) जहां अनंतिम शुल्क लगाया गया है तथा जहां निर्दिष्ट प्राधिकारी ने क्षति के संबंध में अंतिम जांच परिणाम दर्ज किया है अथवा जहां निर्दिष्ट प्राधिकारी ने क्षति के खतरे के संबंध में अंतिम जांच परिणाम दर्ज किया है और इसके अलावा इस तात्पर्य की जांच भी दर्ज की गई है कि अनंतिम शुल्क के अभाव में पाटित आयातों के कारण क्षति हो सकती थी, ऐसी स्थिति में पाटनरोधी शुल्क, अनंतिम शुल्क लागू करने की तारीख से लागू किया जा सकता है ;

(ख) अधिनियम की धारा 9 क की उप धारा (3) में उल्लिखित परिस्थितियों में पाटनरोधी शुल्क को भूतलक्षी प्रभाव से ऐसे अंतिम शुल्क को लागू करने से नब्बे दिन पूर्व की तारीख से जारी किया जा सकता है ।

परंतु जांच शुरू करने से पूर्व घरेलू खपत हेतु बाजार में प्रविष्ट होने वाले आयातों पर भूतलक्षी प्रभाव से कोई शुल्क न लगाया जाए :

परंतु यह भी कि नियम 15 के उप नियम (6) में उल्लिखित कीमत वचनबद्धता के उल्लंघन के मामलों में ऐसी वचनबद्धता के संदर्भ में उल्लंघन से पूर्व घरेलू खपत हेतु बाजार में प्रविष्ट हुए आयातों पर भूतलक्षी प्रभाव से कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा ।

परंतु यह कि उपर्युक्त परन्तुक में निहित किसी बात के होते हुए भी ऐसी वचनबद्धता के उल्लघंन के मामले में अनंतिम शुल्क को वचनबद्धता के उल्लघंन की तारीख अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट की गई किसी तारीख से लागू माना जाएगा ।

21. शुल्क का प्रतिपूर्ति- (1) यदि निर्दिश्ट प्राधिकारी द्वारा की गई जांच के अंतिम जांच परिणामों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा लागू पाटनरोधी शुल्क पहले से लागू किए गए एवं वसूले गए अनंतिम शुल्क से अधिक है, तो राशि में इस अंतर के समतुल्य राशि आयातक से वसूली नहीं जाएगी ।

(2) यदि जांच समाप्त होने के बाद निर्धारित पाटनरोधी शुल्क पहले से लागू एवं वसूले गए अनंतिम शुल्क से कम हो तो राशि में इस अंतर के समतुल्य राशि आयातक को वापस की जाएगी ।

(3) यदि केन्द्र सरकार द्वारा लागू अनंतिम शुल्क को नियम 18 के उप नियम (4) के प्रावधानों के अनुसार वापस लिया जाता है तो पहले से लागू एवं वसूला गया अंतिम शुल्क, यदि कोई हो, आयातक को लौटा या जाएगा ।

21क पाटन के वास्तविक मार्जिन से अधिक भुगतान की राशि का निर्धारण – (1) जहां किसी आयातक का यह अभिमत है कि उसने ऐसी वस्तुओं के संबंध में पाटन के वास्तविक मार्जिन से अधिक, किन्हीं आयातित वस्तुओं पर अधिनियम की धारा 9 क की उप धारा (1) के तहत लगाए गए किसी पाटनरोधी शुल्क का भुगतान कर दिया है, तो वह इस संबंध में उक्त प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए अनुसार, ऐसे दस्तावेजों के साथ ऐसे रुप में निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष ऐसी वस्तुओं के संबंध में पाटन के वास्तविक मार्जिन के निर्धारण के लिए एक आवेदन दाखिल कर सकता है ।

(2) जहां उप नियम (1) में उल्लिखित आवेदन में किन्हीं वास्तविक विवरणों की कमी पाई जाती है तो उसे आयातक को कमियों का उल्लेख करते हुए प्राप्त होने के एक माह के भीतर वापस कर दिया जाएगा और आयातक उन कमियों को दूर करने के उपरांत एक माह के भीतर निर्दिष्ट प्राधिकारी को आवेदन पुन: प्रस्तुत करेगा ।

(3) पूरी सूचना के साथ आवेदन प्राप्त होने पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी वस्तुओं के संबंध में वास्तविक पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए एक जांच प्रारंभ करेगा ।

(4) वास्तविक पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए, जबकि इन नियमों के अनुसार निर्यात मूल्य निर्मित किया गया है, निर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य मूल्य, आयात और पुन: बिक्री के बीच हुए व्यय और बिक्री कीमत में ऐसे किसी बदलाव को ध्यान में रखेगा जो कि बाद की बिक्री कीमत में विधिवत दर्शाई गई है ।

(5) उप नियम (4) में उल्लिखित निर्मित निर्यात कीमत की गणना करते समय, यदि उसके निर्णायक साक्ष्य प्रदान कर दिए गए हैं तो पाटनरोधी शुल्कों की राशि के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी ।

(6) जहां निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह पाया है कि निम्नलिखित में परिवर्तन हुआ है :

(क) आयात और पुन: बिक्री के बीच हुए व्यय की लागत, और

(ख) बिक्री कीमत में परिवर्तन जो बाद की बिक्री कीमता में दर्शाई गई है, वास्तविक पाटन मार्जिन का निर्धारण उप नियम (4) और (5) के प्रावधानों के अनुसार किया जाए ।

(7) निर्दिष्ट प्राधिकारी उप नियम (3) के तहत जांच करने के बाद वस्तुओं के लिए वास्तविक पाटन मार्जिन का निर्धारण करेंगे ओर यदि वस्तुओं के लिए भुगतान किया गया पाटन रोधी शुल्क इस प्रकार से निर्धारित पाटन मार्जिन से अधिक है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी आयातक को दोनों के बीच के अन्तर की प्रतिपूर्ति करने के लिए केन्द्र सरकार को 9 माह के भीतर सिफारिश करेगा, जो किसी भी मामले में हर तरह से परिपूर्ण आवेदन प्राप्ति की तारीख से 12 माह की अवधि से अधिक नहीं होगी ।

22 ऐसे निर्यातकों के लिए पाटन मार्जिन, जिसकी आंरभ में जांच नहीं की गई थी-

(1) यदि कोई उत्पाद पाटनरोधी शुल्कों के अध्यधीन है जो निर्दिष्ट प्राधिकारी संबद्ध निर्यातक देश के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक, जिन्होंने जांच अवधि के दौरान भारत को उत्पाद का निर्यात नहीं किया था, के लिए

अलग-अलग पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ एक आवधिक समीक्षा करेंगे बशर्ते कि ये निर्यातक अथवा उत्पादक यह स्पष्ट करते हों कि वे निर्यातक देश के किसी ऐसे निर्यातक अथवा उत्पादक से संबद्ध नहीं है जो उत्पाद पर लागू पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन हैं ।

(2) जैसा कि इस नियम के उप नियम (1) में उल्लिखित समीक्षा की अवधि के दौरान, केन्द्र सरकार ऐसे निर्यातकों अथवा उत्पादकों से आयातों पर अधिनियम की धारा 9 क की उप धारा (1) के तहत पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाएगी:

बशर्ते कि केन्द्र सरकार अंतिम आकलन कर सकती है और यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस तरह की सिफारिश करते हैं, आयातक से गारंटी की मांग कर सकते हैं और यदि इस प्रकार की समीक्षा से ऐसे उत्पादों अथवा निर्यातकों के संबंध में पाटन का निर्धारण होता है तो वह ऐसे मामलों में समीक्षा शुरु करने की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से शुल्क लागू कर सकती है ।

23 समीक्षा - (1) ऐसे पाटन, जिससे क्षति का सामना करना पड़ रहा, का सामना करने के लिए अधिनियम की धारा 9 क के प्रावधानों के तहत लगाया गया कोई भी पाटनरोधी शुल्क जब तक जरुरत होगी लागू रहेगा ।

(1क) निर्दिष्ट प्राधिकारी स्वयं की पहल पर अथवा किसी ऐसे हितबद्ध पक्षकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर, जो ऐसी समीक्षा की जरुरत को प्रमाणित करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करे और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद एक समुचित समय अवधि बीत चुकी है तो आवश्यकता के अनुसार किसी पाटन रोधी शुल्क को जारी रखने की जरुरत की समीक्षा करेगा और ऐसी समीक्षा के उपरांत निर्दिष्ट प्राधिकारी, जहां यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि कथित पाटनरोधी शुल्क को हटा लिया जाता है अथवा परिवर्तन किया जाता है तो घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या पुनरावृति होने की संभावना नहीं है, और इसीलिए अब इसकी आगे जरुरत नहीं है, तो केन्द्र सरकार को इसे वापस लेने की सिफारिश करेगा ।

(1ख) उप नियम (1) अथवा (1क) में निहित किसी बात के बावजूद अधिनियम के तहत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क इसे लगाने की तारीख से पाचं वर्षों की अनधिक अवधि के लिए तब तक लागू रहेगा, जब तक कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उस अवधि से पूर्व स्वयं की पहल पर अथवा किसी ऐसे हितबद्ध पक्षकार द्वारा विधिवत प्रमाण के साथ अनुरोध किए जाने पर समीक्षा के उपरांत यह निष्कर्ष

निकालते हैं कि यदि कथित पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने पर घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति जारी रहने या पुनरावृति होने की संभावना है, और इसीलिए अब इसकी आगे जरुरत नहीं है ।

(2) उप नियम (1) के तहत शुरु की गई कोई समीक्षा ऐसी समीक्षा को शुरू करने की तारीख से बारह महीनों से अनाधिक अवधि के भीतर संपन्न की जाएगी।

(3) समीक्षा के मामले में नियम 6, 7, 8 ,9/10, 11, 16, 17, 18, 19 तथा 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

24 तीसरे देश को क्षति पहुंचाने वाला पाटन- (1) निर्दिष्ट प्राधिकारी भारत में हो रहे तथा किसी तीसरे देश, जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य हो, के घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे कथित पाटन की जांच शुरू कर सकते हैं ।

(2) ऐसे मामलों में निर्दिष्ट प्राधिकारी उरुग्वे राउंड मल्टिलेटरल ट्रेड नेगोसिएशन के अंतिम अधिनियम में निहित टैरिफ एंव व्यापार संबंधी सामान्य करार के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार के अनुच्छेद 14 में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे ।

25. पाटनरोधी शुल्क का छल – (1) जहां पाटन रोधी शुल्क के अध्यधीन पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रयोजन से अधिसूचित कोई वस्तु असंकलित, अप्ररिष्कृत या अपूर्ण रुप में ऐसे मूलता के देश अथवा निर्यात के देश सहित किसी देश से भारत में आयात की जाती है और भारत या ऐसे देश में संकलित, परिष्कृत या पूर्ण की जाती है तो उसे प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क के छल के रुप में माना जाएगा, यदि –

(क) पाटन रोधी जांच शुरु होने के तुरंत बाद अथवा तुरंत पहले प्रचालन शुरु हुआ या उस में वृद्धि हुई और पाटन रोधी शुल्क लगाने के प्रयोजन से अधिसूचित मूलता के देश अथवा निर्याति के देश से पुर्जे अथवा घटकों का आयात हुआ; और

(ख) संकलन, परिष्करण अथवा पूर्ण करने के प्रचालन के परिणामस्वरुप मूल्य संकलित, परिष्कृत अथवा पूर्ण वस्तु की लागत से पैंतीस प्रतिशत से कम है ।

स्पष्टीकरण I - 'मूल्य' से तात्पर्य संकलित, परिष्कृत अथवा पूर्ण वस्तु की लागत में से आयातित पुर्जों या घटकों का मूल्य कम करके निकले मूल्य से है।

स्पष्टीकरण II - 'मूल्य' की गणना करने के प्रयोजन के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों रॉयल्टी तकनीकी जानकारी शुल्क और परामर्शी शुल्क के संबंध में भुगतान पर व्यय को शामिल नहीं किया जाएगा ।

(2) जहां पाटन रोधी शुल्क के अध्यधीन पाटनरोधी शुल्क लगाने के प्रयोजन से अधिसूचित कोई वस्तु किसी ऐसी प्रक्रिया के बाद, जिसमें उस वस्तु के विवरण, नाम अथवा बनावट में परिवर्तन शामिल है, वह मूलता के देश अथवा निर्यात के देश से भारत में आयात की जाती है तो ऐसे परिवर्तन को लागू पाटनरोधी शुल्क का छल समझा जाएगा यदि पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन उस वस्तु के विवरण, नाम अथवा बनावट में परिवर्तन के परिणाम से वस्तु के रुप में या आकार में परिवर्तन, चाहे मामूली ही हुआ हो, ऐसा टैरिफ वर्गीकरण के परिवर्तन, यदि कोई हो, को ध्यान में रखे बिना किया जाएगा।

(3) जहां पाटनरोधी शुल्क के अध्यधीन कोई वस्तु भारत में निर्यातकों अथवा आयातकों अथवा ऐसे देश, जो पाटनरोधीशुल्क के अध्यधीन नहीं है, के माध्यम से आयात की गई है, वहां ऐसे निर्यातों को लागू पाटनरोधी शुल्क के छल के लिए समझा जाएगा, यदि पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए अधिसूचित निर्यातक अथवा आयातक अपने व्यापार की प्रथा, व्यापार की पद्धति अथवा वस्तु की बिक्री के माध्यम में परिवर्तन करता है ताकि उसके उत्पाद ऐसे निर्यातकों अथवा उत्पादकों अथवा देश के माध्यम से निर्यात किए जा सकें जो पाटन रोधी शुल्क के अध्यधीन नहीं हैं ।

स्पष्टीकरण- इस उप नियम के प्रयोजन से यह स्थपित होगा कि यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं तो व्यापार की प्रथा, व्यापार की पद्धति अथवा बिक्रियों के माध्यम में परिवर्तन हुआ है –

(क) पाटन रोधी शुल्क लगाने के अलावा किसी स्पष्टीकरण का अभाव चाहे आर्थिक हो या अन्यथा ;
(ख) इस बात के साक्ष्य कि पाटनरोधी शुल्कों के उपचारी प्रभाव से समान उत्पादों की कीमत और अथवा गुणवत्ता प्रभावित हुई है ।

26. छल के निर्धारण के लिए जांच की शुरुआत - (1) नीचे प्रदत्त को छोड़कर निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिनियम की धारा 9 क के तहत लगाए गए

पाटनरोधी शुल्क के किसी आरोपित छल की मौजूदगी और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए घरेलू उद्योग से अथवा उसकी ओर से लिखित में आवेदन प्राप्त होने पर एक जांच आरंभ कर सकते हैं ।

(2) आवेदन में छल रोधी जांच शुरु करने को न्यायोचित ठहराने के लिए अन्य बातों के साथ साथ छल की मौजूदगी के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य शामिल होंगे ;

(3) उप नियम (1) में निहित किसी बात के बावजूद निर्दिष्ट प्राधिकारी स्वयं ही एक जांच आरंभ कर सकते हैं यदि वे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत नियुक्त सीमाशुल्क आयुक्त अथवा किसी अन्य स्रोत, जिसमें लागू पाटनरोधी शुल्क के छल का उल्लेख करते हुए छल की मौजूदगी के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हों, से प्राप्त सूचना से संतुष्ट हों

(4) निर्दिष्ट प्राधिकारी लागू पाटनरोधी शुल्क के छल की कथित मौजूदगी और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए एक जांच आरंभ कर सकते हैं, यदि वे इस बात से संतुष्ट हैं कि लागू पाटनरोधी शुल्क के छल वाली वस्तु के आयातों का पाटन पाया गया है;

परंतु निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी किसी जांच को प्रारंभ करने से पूर्व निर्यातक देश की सरकार को अधिसूचित करेंगे ।

(5) नियम 6 के तहत साक्ष्य एवं प्रक्रियाओं के संबंध मे प्रावधान प्रावधान इस नियम के तहत की गई किसी जांच के लिए यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।

(6) ऐसी किसी जांच को 12 माह के भीतर संपन्न किया जाएगा और किसी भी मामले में यह अवधि निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जांच शुरु करने की तारीख से 18 माह से अधिक की नहीं होगी जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा लिखित में दर्ज किया जाएगा ।

27. छल का निर्धारण- (1) यह निर्धारित हो जाने के बाद कि पाटन रोधी शुल्क का छल हुआ है, निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटन रोधी शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए पहले से अधिसूचित देशों से इतर किसी देश के मूल की अथवा वहां से

निर्यातित वस्तुओं के आयातों के लिए अथवा मौजूदा पाटन रोधी शुल्क के छल के पाए जाने वाली वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश कर सकते हैं और ऐसा शुल्क नियम 26 के तहत जांच की शुरुआत की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा ।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने जांच परिणामों को दर्ज करते हुए एक सार्वजनिक सूचनाजारी करेंगे ।

(3) केन्द्र सरकार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में नियम 26 के तहत जांच की शुरुआत की तारीख से अथवा किसी ऐसी तारीख से जिसकी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सिफारिश की जाएगी, ऐसी वस्तुओं के आयातों सहित वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करेगी ।

28. छल की समीक्षा- (1) निर्दिष्ट प्राधिकारी, अपनी पहल पर अथवा इस बात के अध्यधीन कि किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर, जो समीक्षा की जरुरत को प्रमाणित करते हुए सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करेंगे कि इन उपायों को लागू किए जाने के बाद से समुचित समय अवधि व्यतीत हो चुकी है, आवश्यकतानुसार शुल्क को जारी रखने की जरुरत की समीक्षा की जाएगी ।
(2) उप नियम (1) के तहत आरंभ की गई कोई समीक्षा ऐसी समीक्षा की शुरुआत की तारीख से 12 माह की अनधिक अवधि के भीतर संपन्न की जाएगी।

(नियम 8 का संदर्भ ले)

सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण को शासित करने वाले सिद्धांत

निर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करेंगे -

1. सामान्य मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में उल्लिखित लागतों के घटकों का निर्धारण सामान्य रूप से जांचाधीन निर्यातक अथवा उत्पादक द्वारा रखे गए रिकॉर्डों के आधार पर किया जाता है, बशर्ते कि ऐसे रिकार्ड निर्यातक देश के सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार हों ओर ऐसे रिकॉर्ड विचाराधीन वस्तु के उत्पादन एवं बिक्री के साथ संबद्ध लागत को उचित रुप दर्शाते हों ।

2. निर्यातक देश के घरेलू बाजार अथवा किसी तीसरे देश को समान उत्पाद की प्रति इकाई (स्थिर एवं परिवर्तनीय) उत्पादन लागत सह प्रशासनिक बिक्री एंव सामान्य लागत से कम कीमत पर बिक्री को कीमत के मद्देनजर व्यापार का सामान्य क्रम नहीं माना जा सकता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय इन बिक्रियों को नजरअंदाज कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने निम्नलिखित बातों का निर्धारण किया हो –

(i) ऐसी बिक्रियां एक समुचित समयावधि के भीतर (छह माह से कम नहीं) पर्याप्त मात्राओं में की गई हो अर्थात जब वस्तु की भारित औसत बिक्री कीमत भारित औसत प्रति इकाई लागतों से कम हो अथवा प्रति इकाई लागत से कम बिक्रियों की मात्र विचाराधीन कारोबार में बेची गई मात्रा के बीस प्रतिशत से कम न हों, तथा

(ii) ऐसी बिक्रियां ऐसी कीमतों पर की गई है जिससे समुचित समयावधि के भीतर सभी लागतों की वसूली न होती हो । यदि ये कीमतें जांच की अवधि के लिए प्रति इकाई भारित औसत से अधिक हैं तो यद्यपि बिक्री के समय पर वे प्रति इकाई लागत से कम भी रही हो तो भी एक समुचित समयावधि के भीतर लागत की वसूली करने हेतु उक्त कीमतों पर विचार किया जाएगा ।

3. (i) उक्त अधिकारी जांच के क्रम में लागत के सही आंवटन के संबंध में निर्यातक अथवा उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराई गई लागत सभी उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करेंगे बशर्ते कि समुचित ऋण भुगतान तथा अवमूल्यन अवधि तथा पूंजीगत व्यय हेतु भत्तों एवं अन्य विकास संबंधी लागतों के निर्धारण के संबंध में निर्यातक तथा उत्पादक द्वारा ऐसे आंवटन का भूतकाल में उपयोग किया गया हो ।

(ii) यदि ऊपर उल्लिखित खण्ड (1) तथा उप खण्ड (i) में लागतों के आंवटन में पहले से दर्शाया न गया हो तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उन अनावर्ती मदों के लिए जो आगे होने वाले उत्पादन तथा अथवा वर्तमान उत्पादन हेतु लाभकारी सिद्ध होंगी अथवा उन परिस्थितियों के लिए जिनमें प्रारंभिक प्रचालन द्वारा जांच अवधि के दौरान लागतों पर प्रभाव पड़ा था समुचित समायोजन करेंगे ।

4. अधिनियम की धारा 9 क की उप धारा (1) में यथा उल्लिखित प्रशासनिक, बिक्री तथा सामान्य लागतों तथा लाभ हेतु राशियां, जांचाधीन निर्यातक अथवा उत्पादक द्वारा व्यापार के सामान्य क्रम में सामान्य वस्तु के उत्पादन एंव बिक्री से संबंधित वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होगी जहां ऐसी राशियों का निर्धारण इस आधार पर नहीं किया जा सकता वहां इन राशियों का निर्धारण निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा :

(i) वस्तु की समान सामान्य श्रेणी के उद्गम देश के घरेलू बाजार में उत्पादन एवं बिक्रियों के संबंध में संबंधित निर्यातक अथवा उत्पादक द्वारा व्यय तथा वसूली गई वास्तविक राशियां ;

(ii) उद्गम देश के घरेलू बाजार में समान वस्तु के उत्पादन एवं बिक्री के संबंध में अन्य जांचाधीन निर्यातकों अथवा उत्पादकों द्वारा व्यय की गई अथवा वसूली गई वास्तविक राशियों का भारित औसत ; अथवा

(iii) कोई अन्य समुचित पद्धति बशर्ते कि इस प्रकार के लाभ हेतु निर्धारित राशियां उद्गम देश के घरेलू बाजार में समान सामान्य श्रेणी के उत्पादों की बिक्री से निर्यातकों अथवा उत्पादकों द्वारा सामान्य रूप से वसूले गए लाभ से अधिक न हो ।

5. एक परिकलित निर्यात कीमत का निर्धारण करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी आयात तथा पुनर्बिक्री पर किए गए व्ययों तथा लाभों हेतु शुल्कों एवं करों सहित लागतों हेतु समुचित छूट प्रदान करेंगे ।

6. (i) पाटन मार्जिन का निर्धारण करते समय नामित प्राधिकारी, निर्यात मूल्य और सामान्य मूल्य से तुलना करेंगे। यह तुलना व्यापार के उसी स्तर पर और सामान्यतया कारखाना द्वार स्तर पर और जहां तक संभव हो लगभग उसी समय की गई बिक्रीयों के संबंध में की जायेगी । प्रत्येक मामले में उसके गुणावगुण आधार पर उन अन्तरों के लिए छूट दी जाएगी जिनसे बिक्री की शर्तों, कर प्रणाली, व्यापार के स्तरों, मात्रा, भौतिक विशेषताओं में अन्तर और किन्हीं अन्य अन्तरों में जो मूल्य की तुलनात्मकता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं, के सहित मूल्यों की तुलनात्मकता प्रभावित होती है ।

(ii) ऐसे मामलों में जहां निर्यात कीमत परिकलित की जाती है वहां व्यापार के समतुल्य स्तर पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के पश्चात ही तुलना की जाएगी।

(iii) जहां इस पैरा के तहत तुलना हेतु मुद्रा का परिवर्तन अपेक्षित होता है; इस प्रकार का परिवर्तन बिक्री की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करके किया जाएगा बशर्ते कि जब वायदा बाजारों में विदेशी मुद्रा में बिक्री; निर्यात बिक्री से प्रत्यक्षतः संबंधित हो, तब वायदा बिक्री में विनियम दर का उपयोग किया जाएगा । विनियम दरों में उतार चढ़ाव को नजर अंदाज किया जाएगा तथा किसी भी जांच में निर्यातकों को कम से कम साठ दिनों का समय दिया जाएगा ताकि वे जांच अवधि के दौरान विनियम दरों में सतत क्षति को दर्शाने हेतु अपनी निर्यात कीमतों में समायोजन कर सके ।

(iv) इस पैराग्राफ में तुलना को शासित करने वाले प्रावधानों के अध्यधीन जांच के दौरान मौजूद पाटन के मार्जिन का निर्धारण सामान्य रूप से सौदा-दर-सौदा आधार पर भारित औसत सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमतों की तुलना के आधार पर किया जाएगा । यदि यह पाया जाता है कि भिन्न क्रेताओं, क्षेत्रों अथवा समयावधियों में निर्यात कीमतों की प्रवृतियां काफी अलग अलग हैं और यदि इस संबंध में यह स्पष्टीकरण दिया गया हो कि भारित औसत दर भारित औसत अथवा सौदा-दर-सौदा आधार पर तुलना के उपयोग से इन अंतरों को समुचित रूप से आधार नहीं बनाया जा सकता; तो उस स्थिति में भारित औसत आधार पर निर्धारित सामान्य मूल्य की तुलना अलग-अलग निर्यात सौदों की कीमतों से की जा सकती है ।

7. गैर-बाजार अर्थवयवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन

को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत सहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थवयवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा । संबंद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा । बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय सीमा क भीतर कार्रवाई की जाएगी । जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलम्ब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विदेश में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावाधि प्रदान की जाएगी ।

8. (1) गैर-बाजार अर्थवस्था वाला देश वाक्यांश का अर्थ कि देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धांतों का लागू नहीं करने वाले के रूप में मानते हैं जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि बिक्रियां उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है ।

(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लूटीओ के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर-बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर-बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश है ।

तथापि गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है ।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या :-

(क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों

तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विनिर्दिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है;

(ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थ व्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है । खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पित्तयों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खाते, वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में;

(ग) ऐसी फर्म दिवालिया तथा सम्पति कानून के अधीन होती हैं जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गारंटी देता है :-

(घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते है :-

तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसे अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं । निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धांतों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धांतों को लागू कर सकते है ।

(4) उप- पैराग्राफ (2) में निहित किसी बात के होते हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे किसी देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसे उप-पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मानदण्ड़ों सहित संगत मानदण्डों के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर किसी सरकारी दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन के प्रकाशन द्वारा किसी देश जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है, ने पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थवययवस्था वाला देश माना है अथवा ऐसा मानने के लिए निर्धारित किया है ।

टिप्पणी : इस पैरा के प्रयोजन के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में अलबानिया, आर्मेनिया, अजर्बेकिस्तान, बेलारुस, चीन जन. गण. जार्जिया, कजाकिस्तान, नार्थ कोरिया, किर्गिस्तान, मालदोवा, मंगोलिया, रुस, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उक्रेन, उजबेकिस्तान और वियतनाम हैं । उनमें से कोई देश यदि यह स्थापित करना चाहता है कि इस पैरा में उल्लिखित मानदंडों के तहत वह एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो वे ऐसी सभी आवश्यक सूचना प्रदान कर सकते हैं जिन पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विधिवत ध्यान दिया जाएगा ।

अनुबंध- II नियम 9 (2) देखे

क्षति निर्धारण के सिद्धांत

निर्दिष्ट प्राधिकारी, घरेलू उद्योग को हुई क्षति अथवा क्षति के खतरे अथवा ऐसे उद्योग की संस्थापना को होने वाले वास्तविक ह्रास, जिले एतदपश्चात 'क्षति' कहा गया है तथा पाटित आयातों एवं ऐसी क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों का निर्धारण करते समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करेंगे:-

(i) क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमतों पर उनके प्रभाव तथा (ख) इस प्रकार की वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव की वास्तविक जांच शामिल होगी ।

(ii) पाटित आयातों की मात्र की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या भारत में समग्र अर्थों मे उत्पादन अथवा खपत के संबंध में पाटित आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । नियम 18 के उप नियम (2) में यथा उल्लिखित कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के कारण अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के कारण कीमतों का अत्यधिक ह्रास हुआ है अन्यथा कीमत वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा उल्लेखनीय स्तर तक बढ़ गई होती ।

(iii) ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक देश से किसी उत्पाद के आयातों के मामले में जब पाटनरोधी जांच एक साथ की जा रही है तो प्राधिकारी इस प्रकार के आयातों का संचयी रूप से आकलन करेगा । तथापि इस प्रकार का आकलन तभी किया जा सकता है जब यह निर्धारित हो जाए कि (क) प्रत्येक देश से आयातों के संबध में पाटन मार्जिन निर्यात कीमत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त 2 प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से हुए आयातों की मात्रा भारत में समान वस्तु के आयात का 3 प्रतिशत अथवा जहां प्रत्येक देश का निर्यात 3 प्रतिशत से कम है वहां संचयी रूप से आयात समान वस्तु के आयातों का 7 प्रतिशत से अधिक बनता है, और (ख) आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन, आयातित वस्तु समान घरेलू वस्तु के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों की दृष्टि से उचित है ।

(iv) पाटित आयातों से घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच में सभी

संबंधित आर्थिक कारणों का मूल्याकंन उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतक, बिक्री में कमी होने के प्राकृतिक एवं संभावित कारण, लाभ, उत्पादन, मार्केट शेयर, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग; घरेलू मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारण, वास्तविक पाटन के मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, वस्तूसूची रोजगार, वेतन, वृद्धि, पूंजी निवेश में वृद्धि करने की क्षमता शामिल है ।

(V) यह दर्शाया जाना चाहिए कि उपर्युक्त पैरा (ii) और (iv) में यथा उल्लिखित पाटित आयात पाटन के प्रभावों के माध्यम से घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं । पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत संगत साक्ष्यों की जांच पर आधारित होगा । निर्दिष्ट प्राधिकारी पाटित आयातों के अलावा अन्य ऐसे ज्ञात कारकों की भी जांच करेंगे जो इसी समय पर घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं तथा इन अन्य कारकों द्वारा होने वाली क्षति को पाटित आयातों द्वारा होने वाली क्षति नहीं माना जाना चाहिए। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य बातों के साथ साथ मांग में कमी अथवा खपत की पद्धति में परिवर्तन, विदेशी एंव घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतिया तथा उनके बीच प्रतिस्पर्धा, घरेलू उद्योग की प्रौद्योगिकी तथा निर्यात निष्पादन एवं उत्पादकता में होने वाला विकास शामिल है ।

(vi) पाटित आयातों के प्रभाव का आकलन समान वस्तु के घरेलू उत्पादन के संबंध में किया जाएगा जहां उत्पादन प्रक्रिया, उत्पादनों की बिक्री तथा लाभों जैसे मानदण्ड़ों के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों द्वारा उस उत्पादन की पृथक पहचान करने की अनुमति होगी । यदि उस उत्पादन की पृथक पहचान का निर्धारण इस प्रकार संभव नहीं है तो पाटित आयातों के प्रभाव का आकलन उत्पाद के चुनिंदा समूह अथवा रेंज के उत्पादन की जांच द्वारा किया जाएगा। इसे रेंज में समान उत्पाद भी शामिल होगा जिसके संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ।

(vii) वास्तविक क्षति के खतरे का निर्धारण तथ्यों पर आधारित होगा न कि केवल आरोपों, अटकलबाजियों अथवा परोक्ष संभावनाओं के आधार पर परिस्थितियों में इस तरह के परिवर्तन जिसके कारण पाटन द्वारा क्षति होती हो तथा उसकी आसन्नता का स्पष्ट रूप से पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए । वास्तविक क्षति के खतरे की मौजूदगी के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार करेंगे:-

(क) भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अत्यधिक दर जिससे आयात में अत्यधिक वृद्धि की संभावना का संकेत मिलता है ;

(ख) पर्याप्त, मुक्त रूप से प्रयोज्य उत्पाद अथवा निर्यातक की क्षमता में आसन्न, अत्यधिक वृद्धि जिससे भारतीय बाजारों में पर्याप्त रूप से बढ़े हुए निर्यातों की संभावना का संकेत मिलता हो । इस संबंध में अतिरिक्त निर्यातों की खपत हेतु अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता पर विचार किया जाएगा ;

(ग) कि क्या बाजार में आयातों का प्रवेश ऐसी कीमतों पर हो रहा हो जिससे घरेलू कीमतों पर अत्यधिक अवमूल्यकारी अथवा ह्रासकारी प्रभाव पडेगा और होने वाले आयातों के लिए मांग में वृद्धि की संभावना होगी; तथा

(घ) जांचधीन वस्तुओं की वस्तुसूचियां ।

अनुबंध-III

[नियम 17(1) देखें]

क्षति रहित कीमत के निर्धारण के लिए सिद्धांत

(1) नियम 17 के उप नियम (1) के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसे पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करनी अपेक्षित है, जो यदि लगाया जाता है तो घरेलू उद्योग को जहां कहीं भी क्षति होगी, उसे दूर किया जा सकेगा।

(2) खंड (1) के तहत सिफारिश करने के प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी नीचे विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को ध्यान में रखकर समान घरेलू उत्पाद की उचित बिक्री कीमत (काल्पनिक) अथवा क्षति रहित कीमत का निर्धारण करेगा।

(3) क्षति रहित कीमत का निर्धारण घरेलू उद्योग के सभी उत्पादकों के संबंध में जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत के संबंध में सूचना अथवा आंकड़ों पर विचार करके किया जाना है। घरेलू उद्योग के संघटकों द्वारा अनुरक्षित वित्तीय रिकार्ड का विस्तृत विश्लेषण अथवा जांच अथवा मिलान इस प्रयोजन के लिए किया जाना है।

(4) उत्पादन की लागत के निम्नलिखित घटकों की जांच की जानी है और क्षति रहित कीमत की गणना के लिए विचार किया जाना है, अर्थात –

i. यदि घरेलू उद्योग को कच्ची सामग्रियों के अकुशल उपयोग के कारण कोई क्षति हुई है, तो उसे अप्रभावी बनाने के लिए घरेलू उद्योग के संघटकों द्वारा विगत तीन वर्षों की अवधि और जांच की अवधि के दौरान कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया जाए।

ii. यदि घरेलू उद्योग को उपयोगी वस्तुओं (यूटिलिटी) के अकुशल उपयोग के कारण कोई क्षति हुई है, तो उसे अप्रभावी बनाने के लिए घरेलू उद्योग के संघटकों द्वारा विगत तीन वर्षों की अवधि और जांच की अवधि के दौरान कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया जाए।

iii. यदि घरेलू उद्योग को उत्पादन क्षमताओं के अकुशल उपयोग के कारण कोई क्षति हुई है, तो उसे अप्रभावी बनाने के लिए घरेलू उद्योग के संघटकों द्वारा विगत तीन वर्षों की अवधि और जांच की अवधि के दौरान कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया जाए।

iv. सभी व्ययों, उत्पादन की लागत पर समूहबद्ध और प्रभारित की जांच की जाए और कोई भी असाधारण अथवा अनावृति व्यय उत्पादन की लागत पर न डाला जाए तथा प्रति कर्मचारी और प्रतिमाह प्रदत्त वेतन और मजदूरी की भी समीक्षा की जाए तथा कंपनी के वित्तीय और लागत रिकार्ड से मिलान किया जाए।

v. उत्पादन की लागत पर प्रभारित मूल्यह्रास की राशि की तर्कसंगतता सुनिश्चित करने के लिए यह जांच की जाए कि संबद्ध वस्तुओं की उत्पादन के संबंध में प्रदान न की गई सुविधाओं के लिए, विशेषकर बहु-उत्पादन कंपनियों के मामले में कोई प्रभार नहीं दिया गया है और पुनः मूल्यांकित परिसंपत्तियों, यदि कोई हो, के मूल्यह्रास की पहचान की जाए और उत्पादन की तर्कसंगत लागत निकालते समय इसे बाहर किया जाए।

vi. उत्पाद के लिए अभिज्ञात किए गए व्यय सीधे आबंटित किए जाने हैं और फैक्ट्री के तहत वर्गीकृत साझा व्यय अथवा ओवरहैड, प्रशासनिक और बिक्री ओवरहैड को तर्कसंगत और वैज्ञानिक आधार पर पृथक किया जाए, जैसे मशीन के घंटे, पात्र अधिभोग घंटे, श्रम घंटे, उत्पादन की मात्रा, बिक्री मूल्य इत्यादि, जो घरेलू उत्पादकों द्वारा निरंतर प्रयोग में लाए जाते हैं और जांच की अवधि के दौरान दावा किए गए विभिन्न व्ययों की तर्कसंगतता और स्पष्टीकरण की जांच की जाए तथा तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में अनुरूपी धनराशि के साथ तुलना करके जांच पड़ताल की जाए।

vii. क्षति रहित कीमत का आकलन करते समय व्ययों पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं-

(क) अनुसंधान न विकास प्रावधान (उत्पाद विशिष्ट अनुसंधान के संबंध में दावा और प्रमाणित किए जाने तक) ;

(ख) क्षति रहित कीमत का निर्धारण उसी स्तर पर किए जाने की रूरत है, जिस स्तर पर क्षति मार्जिन के प्रयोजन के लिए आयात कीमत निर्धारित की गई है;

(ग) बिक्रियों पर उत्पाद शुल्क, बिक्री कर तथा आयकर आयात कीमत के स्तर पर ही लगाने पर विचार किया जाए;

(घ) अन्य इकाइयों के लिए किए गए कार्य पर व्यय;

(ङ) रॉयल्टी, जब तक कि यह उत्पाद की तकनीकी जानकारी से संबंधित है;

(च) विचाराधीन उत्पाद के व्यापार क्रियाकलाप;

(छ) अन्य गैर-लागत अथवा असामान्य वस्तुएं जैसे दान, परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि, आग, बाढ़ आदि के कारण हानि।

viii. ब्याज, कारपोरेट कर तथा लाभ की वसूली के लिए उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी पर एक तर्कसंगत प्रतिफल (कर-पूर्व) की अनुमति दी जाएगी। औसतन पूंजी "सकल अचल संपत्ति और निवल कार्यशील पूंजी" का जोड़ है जिसे जांच की अवधि के प्रारंभ में और अंत के औसतन आधार पर लिया जाएगा। कार्यशील पूंजी आवश्यकता के तर्कसंगत स्तर का आकलन करने के लिए निवल कार्यशील पूंजी के सभी घटकों की विस्तार से जांच की जाए। निवल चालू परिसंपत्तियों से कोई सब्याज देनदारियां कम नहीं की जाएंगी। अचल संपत्तियां के पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव पर लगी पूंजी की गणना में तब तक विचार न किया जाए जब तक कि कंपनी द्वारा रखे गए रिकार्ड में वह शामिल न हो। ब्याज को बिक्री की लागत की मद के रूप में अनुमति प्रदान की जाए और ब्याज को कम करने के बाद प्रतिफल की शेष राशि की कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति प्रदान की जाए ताकि क्षति रहित कीमत निकाली जा सके।

ix ब्याज की लागत की तर्कसंगतता की यह सुनिश्चित करने के लिए जांच की जाए कि ब्याज के संबंध में कोई भी असामान्य व्यय नहीं किया गया है। सावधि ऋणों, नकदी ऋण सीमाओं, अल्प आवधिक ऋणों, जमा राशियों तथा कंपनी

द्वारा ली गई अन्य उधारियों और उन पर भुगतान किए गए ब्याज की, परिसंपत्तियों के ब्यौरे के साथ जांच की जाए।

X यदि एक से अधिक घरेलू उत्पादक हैं तो व्यक्तिगत घरेलू उत्पादकों की भारित औसत क्षति रहित कीमत पर विचार किया जाए। संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादन का संगत अंश समग्र उद्योग के लिए भारित औसतन क्षति रहित कीमत की गणना के लिए आधार हो सकता है।

****